



व्र हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद पत्र संख्या 92/2017 GCMS NO. 2017/00247 उनवानी विरेन्द्र बनाम दाताराम आदि अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
1.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान हाजिर आये। न्यायालय समय तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पक्षकारान स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः वादी का हस्तगत वाद तथा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिदावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <div style="text-align: center;">  (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी </div> <div style="text-align: center;">  </div>	

